

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

19 DEC 2015

क्रमांक : प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/2012 पार्ट


जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ० रिजवाना शाहिन	सह आचार्य	आचार्य	01-4-2015

आदेश से,


(सम्पत मल लोढा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(मंगल चन्द मीणा)
शासन सहायक सचिव